# अध्याय-III

# नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की निरीक्षक भूमिका

## अध्याय-III

## नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की निरीक्षक भूमिका

### 3.1 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की लेखापरीक्षा

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (5) एवं (7) के तहत सरकारी कंपनी एवं सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य कंपनियों के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को अनुपूरक लेखापरीक्षा संचालित करने एवं सांविधिक लेखापरीक्षकों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर टिप्पणियां या अनुपूरक जारी करने का अधिकार है। कुछ निगमों को शासित करने की विधियों में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा उनके लेखाओं का लेखांकन किया जाना तथा विधायिका में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित होता हैं।

### 3.2 नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (5) में प्रावधान है कि सरकारी कंपनी अथवा सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य कंपनी के मामले में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के द्वारा वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने के 180 दिनों की अवधि के भीतर सांविधिक लेखापरीक्षक नियुक्त किए जाएं। परिशिष्ट 3.1 में दिए गए विवरण के अनुसार वर्ष 2019-20 में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक ने अगस्त 2019 से जनवरी 2020 के मध्य उपरोक्त कंपनियों के सांविधिक लेखापरीक्षाओं की नियुक्ति की थी।

### 3.3 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतीकरण

#### 3.3.1 समय पर प्रस्तुत करने की आवश्यकता

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 के अनुसार सरकारी कंपनी के कार्यों एवं मामलों पर वार्षिक प्रतिवेदन उसकी आम वार्षिक बैठक होने के 3 माह के भीतर तैयार की जाए तथा तैयार होने के पश्चात यथाशीघ्र लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की गई कोई टिप्पणी अथवा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुपूरक की प्रति के साथ विधायिका के समक्ष प्रस्तुत की जाएं। लगभग इसी प्रकार के प्रावधान सांविधिक निगमों के विनियमन वाले संबंधित अधिनियम में दिए गए हैं। यह तंत्र राज्य की समेकित निधि से इन कंपनियों में निवेश किए गए सार्वजनिक धन के उपयोग पर आवश्यक विधायिका नियंत्रण प्रदान करता है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 96 प्रत्येक कंपनी से प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में एक बार शेयरधारकों की आम वार्षिक बैठक आयोजित करने की अपेक्षा करती है। यह भी कहा गया है कि एक आम वार्षिक बैठक से अगली के मध्य 15 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 में निर्धारित है कि वित्तीय वर्ष में लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणी विचारार्थ उक्त आम वार्षिक बैठक में प्रस्तुत की जाए।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के साथ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (7) के प्रावधानों की अनुपालन न करने वाले लोगों, जिसमें कंपनी के निदेशक भी शामिल है, पर अर्थदंड अथवा कारावास जैसी शास्ति लगाने का भी प्रावधान है। उपरोक्त के बावजूद 31 दिसंबर 2020 तक राज्य के विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के वार्षिक लेखे लंबित थे, जैसा कि अनुवर्ती परिच्छेदों में वर्णित है।

### 3.3.2 सरकारी कंपनियों एवं सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य कंपनियों द्वारा लेखे तैयार करने में समयबद्धता

31 मार्च 2020 तक नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा परिधि में 22 सरकारी कंपनियां तथा सरकार के नियंत्रणाधीन पांच[49] अन्य कंपनियां थी। इनमें से हिमाचल वर्स्टेड मिल्स लिमिटेड, जो 2000-2001 से परीसमापन प्रक्रिया में थी, के अतिरिक्त सभी कंपनियों के वर्ष 2019-20 के लेखे बकाया थे। 31 दिसंबर 2020 तक या उसके पूर्व नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा हेतु 10 सरकारी कंपनियों तथा सरकार के नियंत्रणाधीन तीन अन्य कंपनियों ने 14 वार्षिक लेखे[50] प्रस्तुत किए, हालांकि किसी भी सरकारी कंपनी/ सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य कंपनी ने 31 दिसंबर 2020 तक या उसके पूर्व वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु उनके लेखाओं को लेखापरीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किया। 31 दिसंबर 2020 तक सभी कंपनियों के लेखे विभिन्न कारणों से बकाया थे। हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम लिमिटेड, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध थी। यद्यपि कंपनी के अनुरोध (1994) एवं दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज के सिफारिश पर भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया) ने कंपनी को सूची से हटाने की सहमति प्रदान की। हालांकि, कंपनी को सूची से हटाने की प्रक्रिया अभी भी चल रही है।

27 कंपनियों (सरकारी कंपनियां: 22 एवं सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य कंपनियां: 5) के प्रस्तुत करने में बकाया लेखाओं के विवरण नीचे **तालिका 3.1** में दिए गए हैं :

**तालिका 3.1: कंपनियों की संख्या, 31 दिसंबर 2020 तक अंतिम रूप दिए गए लेखाओं एवं बकाया लेखाओं का विवरण**

| विवरण | सरकारी कंपनियां (22) | सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य कंपनियां (5) | कुल (27) |
|---|---|---|---|
| 31.03.2020 तक नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा परिधि में आई कंपनियों की कुल संख्या | 22 | 5 | 27 |
| 01.10.2019 तक बकाया लेखाओं की संख्या | 41 | 6 | 47 |
| गिरावट: 2000-01 से परिसमापनाधीन कंपनी | - | 1 | 1 |
| कंपनी के लेखाओं की संख्या जो 31.12.2020 (2019-20) तक बकाया थे | 22 | 4 | 26 |

[49] *हिमाचल कंसल्टेंसी* ओर्गनाइज़ेशन *लिमिटेड, हिमाचल प्रदेश पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड, धर्मशाला स्मार्ट सिटी लिमिटेड, हिमाचल वर्स्टेड मिल्स लिमिटेड व शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड।*

[50] *हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम से दो लेखे प्राप्त हुए (2017-18 व 2018-19)।*

| विवरण | सरकारी कंपनियां (22) | सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य कंपनियां (5) | कुल (27) |
|---|---|---|---|
| **लेखापरीक्षा हेतु बकाया लेखाओं की कुल संख्या** | **63** | **10** | **73** |
| 01 अक्टूबर 2019 से 31 दिसंबर 2020 के लेखाओं को नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा हेतु प्रस्तुत करने वाली कंपनियों की संख्या | 10 | 3 | 13 |
| अंतिम रूप दिए गए लेखाओं की संख्या | 11 | 3 | 14 |
| 31 दिसंबर 2020 तक बकाया लेखाओं की संख्या | 52 | 7 | 59 |
| गिरावट: परिसमापनाधीन कंपनी (हिमाचल वर्स्टेड मिल्स लिमिटेड) | - | 1 (2001-02) | - |
| **31 दिसम्बर 2020 तक बकाया लेखाओं का समय-वार विश्लेषण** | | | |
| एक वर्ष | 10 (10) | 2(2) | 12 (12) |
| दो व तीन वर्ष | 7 (16) | 2(5) | 9 (21) |
| तीन वर्ष से अधिक | 5* (26) | - | 5 (26) |
| **कुल** | **22 (52)** | **4 (7)** | **26 (59)** |

* *हिमाचल पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम, हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम, हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम तथा एग्रो इंडस्ट्रियल पैकेजिंग इंडिया लिमिटेड।*

बकाया लेखाओं वाली इन कंपनियों के नाम **परिशिष्ट-3.2** में दर्शाए गए हैं।

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों के निरीक्षण एवं नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की अनुपूरक लेखापरीक्षा, लेखाओं के अभाव में संचालित नहीं की जा सकी, जिसके फलस्वरूप यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि क्या किए गए निवेश एवं व्यय का सही आंकलन किया गया तथा जिस उद्देश्यार्थ निवेश किया गया था उसे प्राप्त किया गया। इसके अतिरिक्त राज्य कोषागार में उनके योगदान, साथ ही उनकी गतिविधियों की सूचना भी विधायिका को प्रेषित नहीं की गई।

बकाया लेखाओं का मामला संबंधित प्रशासनिक विभाग/कंपनियों के साथ उठाया गया हैं। यद्यपि अभी भी पांच ऐसी कंपनियां हैं जिनके लेखे 3 वर्षों से अधिक समय से बकाया थे।

***अतएव वार्षिक लेखे निर्धारित समय में तैयार करने एवं अंतिम रूप देने की अनुशंसा की जाती है।***

### 3.3.3 सांविधिक निगमों द्वारा लेखाओं को तैयार करने में समयबद्धता

सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा उनके संबंधित विधानों द्वारा शासित होती है। दो सांविधिक निगमों[51] में से हिमाचल पथ परिवहन निगम के लिए नियंत्रक-महालेखापरीक्षक एकमात्र

[51] *हिमाचल पथ परिवहन निगम व हिमाचल प्रदेश वित्त निगम।*

लेखापरीक्षक है। हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम के संदर्भ में लेखापरीक्षा चार्टेड अकाउंटेंट (सनदी लेखापाल) द्वारा संचालित की जाती है एवं अनुपूरक लेखापरीक्षा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है। वर्ष 2018-19 हेतु सांविधिक निगम (हिमाचल पथ परिवहन निगम) के लेखे 31 दिसंबर 2020 तक लेखापरीक्षा हेतु प्रस्तुत किए गए थे। हिमाचल प्रदेश वित्त निगम के वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 के लेखे तथा हिमाचल पथ परिवहन निगम के वर्ष 2019-20 के लेखे 31 दिसंबर 2020 तक लेखापरीक्षा हेतु प्रतीक्षित थे।

## 3.4 नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का निरीक्षण- लेखाओं की लेखापरीक्षा एवं अनुपूरक लेखापरीक्षा

### 3.4.1 वित्तीय रिपोर्टिंग रूपरेखा

कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III में निर्धारित प्रारूप में लेखांकन मानकों पर राष्ट्रीय परामर्श समिति के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अनिवार्य लेखांकन मानकों के अनुपालन में वित्तीय विवरणी तैयार करना अपेक्षित है। सांविधिक निगमों से नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के परामर्श पर बनाए गए नियमों के तहत निर्धारित प्रारूप में तथा ऐसे निगमों को शासित करने वाले अधिनियम में लेखाओं से संबंधित अन्य किसी विशिष्ट प्रावधान में उनके लेखे तैयार करना अपेक्षित है।

### 3.4.2 सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा सरकारी कंपनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के तहत नियुक्त किए गए सांविधिक लेखापरीक्षक सरकारी कंपनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा करते हैं तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अनुक्रम में उन पर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं।

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक इस समग्र उद्देश्य के साथ, कि सांविधिक लेखापरीक्षक उन्हें सौंपे गए कार्यों का निर्वहन उचित एवं प्रभावी रूप से कर रहे हैं, राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की लेखापरीक्षा में सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रदर्शन की निगरानी करके निरीक्षक की भूमिका निभाते हैं। इस कार्य का निर्वहन इस शक्ति के प्रयोग से किया जाता है:

- सांविधिक लेखापरीक्षकों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के तहत निर्देश जारी करके, एवं
- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के तहत सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन पर अनुपूरक या टिप्पणी जारी करके।

### 3.4.3 सरकारी कंपनियों के लेखाओं की अनुपूरक लेखापरीक्षा

किसी कंपनी के प्रबंधन की मुख्य जिम्मेदारी कंपनी अधिनियम, 2013 एवं अन्य संगत अधिनियम के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग रूपरेखा के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार

करना है। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के तहत नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के मानक लेखांकन का प्रयोग करते हुए तथा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा दिए गए उपनिर्देशों के अनुरूप स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणियों पर मत व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है। सांविधिक लेखापरीक्षकों से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के तहत नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करना अपेक्षित है। चयनित सरकारी कंपनियों के प्रमाणित लेखाओं कि सांविधिक लेखाकारों के प्रतिवेदन सहित नियंत्रक-महालेखापरीक्षक अनुपूरक लेखापरीक्षा द्वारा समीक्षा करता है। इस प्रकार की समीक्षा के आधार पर यदि कोई उल्लेखनीय लेखापरीक्षा टिप्पणी हो तो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) के तहत उन्हें आम वार्षिक बैठक में प्रस्तुत किये जाने के लिए प्रतिवेदित किया जाता है।

## 3.5 नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की निरीक्षक की भूमिका के परिणाम

### 3.5.1 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के तहत सरकारी कंपनियों/ सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य कंपनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा

31 दिसम्बर 2020 तक 22 सरकारी कंपनियों एवं सरकार के नियंत्रणाधीन चार अन्य कंपनियों से वर्ष 2019-20 की कोई वित्तीय विवरणियां लेखापरीक्षा हेतु प्राप्त नहीं की गई। यद्यपि नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा में 10 सरकारी कंपनियों एवं सरकार के नियंत्रणाधीन तीन अन्य कंपनियों के बकाया लेखाओं की समीक्षा की गई।

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक ने वर्ष 2015-16 (1) 2016-17 (1) 2017-18 (3) एवं 2018-19 (9) के लिए 13 सरकारी कंपनियों/ सरकारी नियंत्रित अन्य कंपनियों के 14 लेखाओं (दो खातों में से एक राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम जो कि हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम) की समीक्षा की। समीक्षा के परिणाम नीचे विस्तृत है:

**(i) अनुपूरक लेखापरीक्षा के परिणाम**

राज्य के 13 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में संचालित अनुपूरक लेखापरीक्षा के परिणामस्वरुप, जैसा कि **परिशिष्ट 3.3** में दर्शाया गया है, राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों ने उनकी वित्तीय विवरणियों में कई मात्रात्मक एवं साथ ही गुणात्मक परिवर्तन हुए जिससे उनकी वित्तीय विवरणियों की गुणवत्ता में सुधार हुआ। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की वित्तीय विवरणियों की अनुपूरक लेखापरीक्षा के दौरान की गई टिप्पणियों (क्वालिफिकेशन) का प्रभाव **चार्ट 3.1** में दर्शाया गया है:

**चार्ट 3.1: 1 अक्टूबर 2019 से 31 दिसंबर 2020 तक अंतिम रूप दी गई वित्तीय विवरणियों की अनुपूरक लेखापरीक्षा के दौरान नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा किए गए मूल्यवर्धन को दर्शाते विवरण**

**(₹ करोड़ में)**

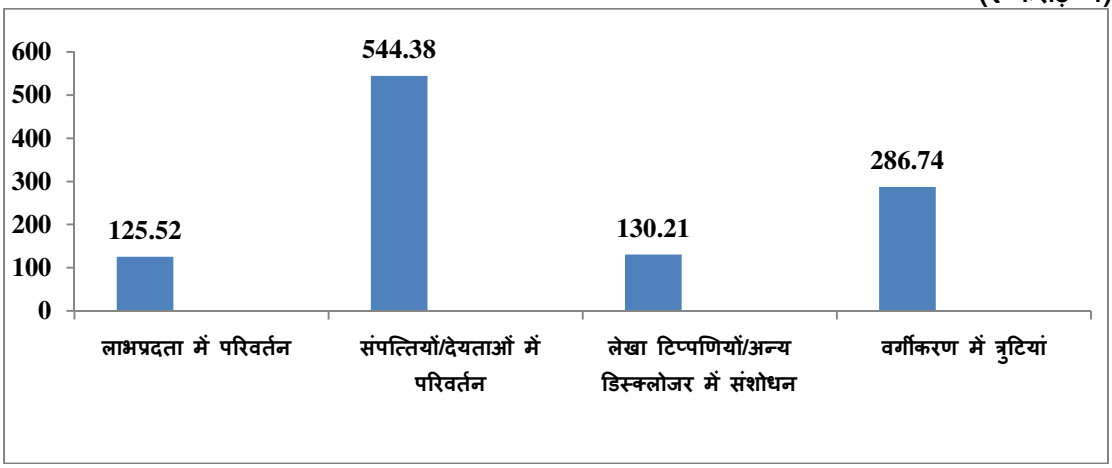


### (ii) सरकारी कंपनियों/ सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य कंपनियों पर सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा अनुपूरक के रूप में जारी उल्लेखनीय टिप्पणियां

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक ने सरकारी कंपनियों एवं सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य कंपनियों की वित्तीय विवरणियों की, सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की गई लेखापरीक्षा (1 अक्टूबर 2019 से 31 दिसंबर 2020 की अवधि के दौरान प्राप्त की गई: 2018-19 तक के वर्ष हेतु) के पश्चात अनुपूरक लेखापरीक्षा संचालित की। राज्य के उन सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के संदर्भ में जिन की वित्तीय विवरणियों की नियंत्रक-महालेखापरीक्षक ने लेखापरीक्षा की थी, उन पर टिप्पणियां प्रबंधन को प्रेषित की गई। जारी की गई कुछ उल्लेखनीय टिप्पणियां **तालिका 3.2** में दी गई है:

**तालिका 3.2: जारी की गई उल्लेखनीय टिप्पणियां**

| क्र.सं. | राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम | टिप्पणियां |
|---|---|---|
| **लाभप्रदता पर टिप्पणी** | | |
| **1.** | हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड (2016-17) | रॉयल्टी एवं विस्तार फीस पर ब्याज का प्रावधान न होने के कारण वन विभाग को देय राशि एवं हानि में ₹4.88 करोड़ की न्यूनोक्ति हुई।<br>वन विभाग को हुई हानि एवं देय राशि में ₹9.24 करोड़ की अत्योक्ति मुख्यतः इन कारणों से हुई:<br>• विगत 20 वर्षों से वन विभाग को बकाया ₹2.89 करोड़ की देय राशि बट्टे-खाते में न डालना; एवं<br>• फॉरेस्ट वर्किंग डिवीजन, शिमला के सम्बन्ध में लकड़ी व रेजिन रॉयल्टी पर ₹6.35 करोड़ का अधिक प्रावधान होना।<br>31 मार्च 2017 तक चार इकाइयों के 283 कर्मियों के सम्बन्ध में ₹10.91 करोड़ के सेवानिवृत्त लाभ, उनके खाते में अर्जित अवकाश जमा होने के कारण प्रदान नहीं किये गए। इसके |

| | | |
|---|---|---|
| | | परिणामस्वरुप ₹10.91 करोड़ के 'अल्पावधि प्रावधान' एवं 'हानि' की न्यूनोक्ति हुई। |
| **2.** | हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड (2017-18) | सामान्य भविष्य निधि पर अर्जित ब्याज की कम बुकिंग (कम दर्ज होना) के कारण ₹11.09 करोड़ के लाभ का अल्प लेखांकन हुआ था (₹82.25 करोड़ के बजाय ₹71.16 करोड़)। इसके परिणामस्वरूप भी अन्य इक्विटी की न्यूनोक्ति हुई।<br>भारतीय लेखांकन मानक में है, कि कोई संस्था सबसे नवीनतम वित्तीय विवरणियों में पूर्व अवधि (अवधियों) की पूर्वव्यापी महत्वपूर्ण त्रुटियों को पिछली अवधियों की तुलनात्मक राशियों से पुनःस्थापित करके सुधार करेंगी। कंपनी के पास वर्ष 2008-2012 से सम्बंधित वसूली योग्य राशि थी। तथापि, कंपनी ने उसके पूर्व अवधि के आंकड़ें संशोधित नहीं किए, जिससे वर्ष 2017-18 में ₹12.78 करोड़ के लाभ की अत्योक्ति हुई।<br>लाभ की अत्योक्ति तथा 'व्यापार पर देय राशि -विद्युत की खरीद' की न्यूनोक्ति इतनी हुई:<br>• हिमाचल प्रदेश सरकार को देय राशि एवं विद्युत की लागत का लेखांकन न करने के कारण ₹12.15 करोड़।<br>• हिमाचल प्रदेश को, स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के अंशदान की देय राशि का प्रावधान न होने के कारण ₹1.21 करोड़, जो उसके जल-विद्युत परियोजनाओं के कुल उत्पादन का एक प्रतिशत है।<br>वित्तीय परिसम्पतियाँ-हिमाचल प्रदेश सरकार से संचालन प्रभार पर प्राप्ति योग्य व्यापार को बट्टे-खाते में न डालने के कारण विविध देनदार (संड्रीडेटर) एवं लाभ में ₹42.75 करोड़ की अत्योक्ति हुई। कम्पनी को इस तरह के प्रभार लगाने के लिए संगत विनियमन में प्रावधान विद्यमान न होने एवं राज्य सरकार द्वारा भी उसका दावा अस्वीकृत करने के कारण वसूली योग्य उपरोक्त मूल्य में हानि के सम्बन्ध में वित्तीय विवरणियों के अनुमोदन के पहले जानकारी थी, इसलिए इसे बट्टे-खाते में लिखा जाना चाहिए था। |
| **3.** | हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम (2018-19) | निगम ने क्रमशः 2017-18 व 2018-19 के दौरान अनुदान की अप्रयुक्ति राशि पर अर्जित ₹1.01 करोड़ एवं ₹2.51 करोड़ के ब्याज की आय को उसकी स्वय की आय मान लिया जिसके परिणाम स्वरुप ₹2.51 करोड़ की 'व्यय से अधिक आय' एवं ₹1.01 करोड़ की 'आरक्षित व अधिशेष - सामान्य आरक्षित' की अत्योक्ति तथा ₹3.52 करोड़ की 'अन्य वर्तमान देयताएं-अप्रयुक्त सहायता अनुदान' की न्यूनोक्ति हुई। |
| 4. | हिमाचल प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड (2018-19) | वर्तमान देयताओं एवं हानि में वर्ष 2018-19 के दौरान भारतीय विद्युत ग्रिड निगम को देय ₹20.77 करोड़ के अधिभार (सरचार्ज) के विलंबित भुगतान के कारण ₹2.78 करोड़ की न्यूनोक्ति हुई। |
| **5.** | हिमाचल प्रदेश पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड (2017-18) | भारतीय लेखांकन मानक 23 की शर्तानुसार, कार्यचालन में व्यवधान अवधि (श्रमिक अशांति, लोगों के द्वारा उत्पन्न व्यवधान इत्यादि के कारण) के दौरान उधार पर ब्याज राशि को |

| | | |
|---|---|---|
| | | लाभ व हानि लेखा में प्रभारित किया जाएगा। वर्ष 2017-18 के दौरान, शोंगटोंग जल विद्युत परियोजना में कार्मिक हड़ताल के कारण 105 दिनों का व्यवधान हुआ था। तदनुसार, उस अवधि हेतु ₹10.41 करोड़ राशि का ब्याज 'लाभ व हानि लेखा' के अंतर्गत 'वित्तीय लागत' के रूप में लेखांकित किया जाना था परन्तु ऐसा नहीं किया गया। अतः 'हानि' की न्यूनोक्ति हुई 'प्रक्रियाधीन पूंजीगत कार्यों में ₹10.41 करोड़ की अत्योक्ति हुई। |

| **वित्तीय प्रास्थिति पर टिप्पणी** | | |
|---|---|---|
| 1. | हिमाचल प्रदेश वन विकास निगम लिमिटेड (2016-17) | चालू परिसंपत्ति-स्टॉक, साथ ही वन विभाग को देय राशि में, वन विभाग को देय रायल्टी, जो वर्ष 2016-17 में खेप के लिए नामित थी, को शामिल न करने कारण, ₹64.36 लाख की न्यूनोक्ति हुई। यद्यपि इन खेपों का स्वामित्व 2015-17 के दौरान लिया गया था, परन्तु लेखा-बहियों में लेखांकित नहीं किया गया था। |
| 2. | हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद एवं विपणन एवं प्रसंस्करण निगम लिमिटेड (2018-19) | 'प्रक्रियाधीन पूंजीगत कार्य' एवं 'विविध लेनदार (संड्रीक्रेडिटर) में, जनवरी 2018 से मार्च 2019 की अवधि हेतु 'हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद एवं विपणन एवं प्रसंस्करण निगम लिमिटेड स्वचालन प्रक्रिया योजना (एच पी एम सी प्रोसेस ऑटोमेशन प्रोजेक्ट)' के कार्यान्वयन हेतु प्रदत्त सेवा/संचालन सेवा/आपदा से बहाली सेवा हेतु विभिन्न पार्टियों (पक्षों) से प्राप्त सेवा बिलों का लेखांकन न होने के कारण, ₹3.80 करोड़ की न्यूनोक्ति हुई। |
| 3. | हिमाचल प्रदेश एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड (2018-19) | कम्पनी ने लेखांकन मानक 15[52] के 'कर्मचारी लाभ' में निर्दिष्ट अपेक्षा के अनुसार सेवानिवृत्त लाभ (अर्जित अवकाश एवं ग्रेज्युटी) के लिए प्रावधान नहीं बनाए। उपरोक्त देयता का प्रावधान न करने के परिणामस्वरूप 'अन्य वर्तमान देयताओं' तथा 'अधिशेष' के ऋणात्मक आंकड़ों में ₹4.03 करोड़ की न्यूनोक्ति हुई। |
| 4. | हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड (2018-19) | लोक मित्र केन्द्रों/ सुगम केन्द्रों से वसूली योग्य राशि में, विद्युत की बिक्री (₹11.89 करोड़) तथा परिसमापन नुकसान (₹10.15 करोड़) का लेखांकन न होने के कारण, ₹22.04 करोड़ की न्यूनोक्ति हुई। यह गलती उपरोक्त शीर्ष में ₹22.16 करोड़ क्रेडिट होने तथा यही राशि अंतर-इकाई लेनदेन (इंटर-यूनिट ट्रांजेक्शन) को डेविट करने के कारण हुई।<br>एक मध्यस्थ निर्णय में कम्पनी ने ₹10.26 करोड़ की राशि का भुगतान ठेकेदार को किया था। पार्टी को सौपें गए कार्य की राशि |

[52] *लेखांकन मानक 15 के परिच्छेद 53 के अनुसार,इकाई न केवल परिभाषित लाभ योजना की औपचारिक शर्तों के तहत उसके वैधानिक दायित्वों हेतु लेखांकन करे बल्कि उद्योग के अनौपचारिक कार्यों से उत्पन्न अन्य दायित्वों का भी लेखांकन करे।*

| | | |
|---|---|---|
| | | का भुगतान कंपनी को करने के निर्देश देते हुए मध्यस्थ निर्णय दिनांक 18.10.1016 के माध्यम से इस देयता का कार्यान्वयन हुआ। हालांकि, देयता का प्रावधान नहीं बनाया गया था इसे अभी भी न्यायालय में प्रस्तुत दर्शाया जा रहा है। परिणामस्वरूप माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष जमा तथा अन्य इक्विटी की ₹10.26 करोड़ की अत्योक्ति के रूप में परिणत हुई। |
| 5. | हिमाचल प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड (2018-19) | प्रक्रियाधीन पूंजीगत कार्य के साथ ही चालू देयताओं में, जुलाई 2018 से मार्च 2019 की अवधि में वांग टू से एल0एंड0टी कंस्ट्रक्शन पॉवर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन तक 400/220/66 किलोवाल्ट गैस इंसुलेटेड सह केंद्र के निर्माण हेतु देय मूल्य विचलन को शामिल न करने के कारण ₹1.78 करोड़ की न्यूनोक्ति हुई। |
| 6. | हिमाचल प्रदेश पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड (2017-18) | अन्य वित्तीय देयताएं एवं प्रक्रियाधीन पूंजीगत कार्यों में, शोंगटोंग-कड़च्छम जल विद्युत परियोजना के सिविल कार्यों के उत्खनन बिलों (संशोधित) का लेखांकन न होने के कारण, ₹2.82 करोड़ की न्यूनोक्ति हुई। |
| 7. | शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड (19.06.2018 से 31.03.2019) | कंपनी को जून 2018 में निगमित किया गया था। जलापूर्ति एवं सीवरेज सिस्टम से सम्बंधित सभी संपत्तियां एवं देयताएं कंपनी को हस्तांतरित की गई थीं। कंपनी ने शिमला नगर निगम द्वारा जून 2018 से पूर्व जारी पानी के बिलों से प्राप्त राशि की गणना हिमाचल प्रदेश सरकार को देय के रूप में की, जो कि निगम की आय के रूप में ली जानी चाहिए थीं। इसके कारण 'चालू देयताओं' की अत्योक्ति एवं 'आरक्षित व अधिभार' में ₹8.22 करोड़ की न्यूनोक्ति में परिणत हुई।<br>2018-19 के दौरान भौतिक परिसंपत्तियों में ₹9.25 करोड़ (₹0.08 करोड़ के मूल्यह्रास की कटौती के बाद) की न्यूनोक्ति हुई। कंपनी ने क्रेगनैनो से ढली तक ग्रेविटी पाइप बिछाने पर ₹10.35 करोड़ का व्यय किया तथा कार्य पूर्ण किया (दिसम्बर 2018)। सम्पूर्ण व्यय को पूंजीगत प्रकृति के रूप में मानने के बजाय केवल ₹1.02 करोड़ को पूंजीकृत किया गया तथा ₹9.33 करोड़ के शेष व्यय को परिचालन एवं रखरखाव खर्च के रूप में गलत प्रभारित किया गया। इसके परिणामस्वरूप 'परिचालन से राजस्व' एवं 'परिचालन व रखरखाव-खर्च' में ₹9.33 करोड़ की अत्योक्ति हुई तथा तदोपरांत 'अचल संपत्तियां- भौतिक संपत्ति' एवं 'आरक्षित व अधिशेष- पूंजीगत आरक्षित' में ₹9.25 करोड़ न्यूनोक्ति भी हुई। |
| 8. | ब्यास वैली पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड | जल विद्युत नीति, 2006 के अनुसार, पांच मेगावॉट या उससे अधिक क्षमता वाली परियोजनाओं के सन्दर्भ में परियोजना की |

| | | |
|---|---|---|
| | (2018-19) | कुल लागत का 1.5 प्रतिशत स्थानीय क्षेत्र विकास निधि में दिया जाएगा। जल विद्युत परियोजना ऊहल, चरण-III का कुल व्यय ₹1,746.34 करोड़ था तथा तदनुसार स्थानीय क्षेत्र विकास निधि में उसका योगदान ₹26.20 करोड़ होना चाहिए था। यद्यपि कम्पनी ने ₹16.19 करोड़ खर्च किए एवं स्थानीय क्षेत्र विकास निधि हेतु ₹3.03 करोड़ का प्रावधान रखा। इस प्रकार, वर्तमान देयताओं एवं प्रक्रियाधीन पूंजीगत कार्यों में ₹6.98 करोड़ की न्यूनोक्ति हुई। |
| **डिस्क्लोसर (प्रकटीकरण) पर टिप्पणियां** | | |
| 1. | हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम(2015-16) | निगम ने उसकी लेखांकन नीतियों में कहा कि नकदी-रहित प्रकृति के लेनदेन के प्रभाव से उत्पन्न निवल अधिशेष को समायोजित करने के लिए नकदी प्रवाह को अप्रत्यक्ष विधियों का प्रयोग करते हुए बताया गया था। निगम के संचालन, निवेश एवं वित्तीय गतिविधियों में हुए नकदी प्रवाह को उपलब्ध जानकारियों के आधार पर पृथक किया गया; यद्यपि वर्ष 2015-16 हेतु ऐसा कोई नकदी-प्रवाह विवरण तैयार नहीं किया गया था। |
| 2. | हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड (2017-18) | कंपनी ने निम्न पर गलत डिस्क्लोसर किया;<br>• 31 मार्च 2018 तक एशियन विकास बैंक ऋण के तहत बकाया राशि (₹12.90 करोड़ के बजाय ₹8.40 करोड़)।<br>• एशियन विकास बैंक ऋण के प्रति ब्याज का प्रावधान (किसी भी प्रकार का प्रावधान बनाने का उल्लेख नहीं किया गया जबकि ₹1.15 करोड़ का प्रावधान किया गया था)।<br>कम्पनी ने दिनांक 22.01.2015 को भाभा पॉवर हॉउस में आग लगाने की घटना से क्षतिग्रस्त पॉवर हॉउस सामग्री की हानियों को (₹18.44 करोड़) बट्टे-खाते में डालने का अलग से प्रकटीकरण नहीं किया गया। |
| 3. | शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड (19.06.2018 से 31.03.2019) | निम्नलिखित तथ्यों को लेखाओं में उजागर नहीं किया गया :<br>• ₹14.77 करोड़ मूल्य के पूर्ण हुए कार्यों (सं.9) का निगम बिना औपचारिक हस्तांतरण के उपयोग कर रहा था, एवं<br>• ₹143.63 करोड़ के प्रक्रियाधीन कार्यों (सं.16) को हस्तांतरित किया जाना अभी शेष था।<br>• अन्यंत्र अस्थाई विशेष नियुक्ति के आधार पर तैनात कर्मचारियों का खर्च ₹11.02 करोड़ निगम द्वारा वहन नहीं किया गया।<br>2005-06 एवं 2008-09 के मध्य सृजित परिसंपत्तियों हेतु कम्पनी ने लेखांकन नीतियों का उल्लंघन करते हुए 2005-06 एवं 2008-09 के मध्य सृजित परिसंपत्तियों (उनके निगमन की तिथि के पूर्व) के लिए मूल्यह्रास का प्रावधान नहीं किया। परिसंपत्तियों |

| | | |
|---|---|---|
| | | पर उनके पूर्ण होने की तिथि से मूल्यह्रास का प्रावधान न करने के परिणामस्वरूप 'पूंजीगत आरक्षित' व 'अचल संपत्तियों' में ₹136.34 करोड़ की अत्योक्ति हुई। |
| 4. | ब्यास वैली पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड (2018-19) | ठेकेदार को देय अतिवृद्धि प्रभार के कारण ऊहल-III जल विद्युत परियोजना पर हुई व्यय में वृद्धि (₹12.77 करोड़) को लेखा टिप्पणियों में उजागर नहीं किया गया। |
| **स्वतंत्र लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन पर टिप्पणी** | | |
| 1. | हिमाचल प्रदेश वन विकास निगम लिमिटेड (2016-17) | सांविधिक लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में निम्न विसंगतियां पाई गई:<br>• कर्मचारी समूह ग्रेज्युटी स्कीम हेतु एलआईसी द्वारा उठाई गई मांग में कमी को ₹76.72 करोड़ के बजाय ₹75.22 करोड़ बताया गया।<br>• 20 लाख की संशोधित सीमा के बजाय ₹10 लाख की ग्रेज्युटी सीमा पर मांग आधारित होने का उल्लेख किया गया था। यद्यपि संशोधित सीमा 29 मार्च 2018 को या उसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों पर प्रयोज्य थी।<br>• खेप 2013-14 के अंतर्गत दो बार रॉयल्टी राशि प्रदान न करने की सूचना दी गई जिसके परिणामस्वरूप सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित वित्तीय प्रभाव में ₹93.45 लाख की अत्योक्ति हुई।<br>प्रतिवेदन में कंपनी द्वारा रेजिन रॉयल्टी पर अधिक प्रावधान किये जाने पर गलत प्राक्कलन (₹92.98 लाख के बजाय ₹57.42 लाख) प्रतिवेदित किया गया था। |
| 2. | हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रोनिक्स विकास कोरपोरेशन लिमिटेड (2018-19) | सांविधिक लेखापरीक्षक ने बताया कि कम्पनी के पक्ष वाले अचल संपत्तियां के स्वत्वाधिकार-विलेख है, जोकि सही नहीं है। मेहली स्थित नवनिर्मित भवन का निवास-स्थान सरकार को आवंटित किया गया था (सितम्बर 2013) तथा उसका स्वत्वाधिकार - विलेख अब तक कम्पनी के नाम पर नहीं था। |
| 3. | हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम (2017-18) | सांविधिक लेखापरीक्षक ने टिप्पणी दी थी कि 2017-18 के दौरान प्राप्त अनुदान में कोई व्यपवर्तन (डाइवर्जन) नहीं हुआ था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2017-18 के दौरान ₹4.00 करोड़ के पूंजीगत अनुदान का राजस्व व्यय में डाइवर्जन किया गया था। |

### 3.5.2 नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों का प्रभाव

सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा करने के पश्चात्, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक ने राज्य की सरकारी कंपनियों एवं सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य कंपनियों की वित्तीय विवरणियों की अनुपूरक लेखापरीक्षा संचालित की। राज्य सरकार की सरकारी कंपनियों की वित्तीय विवरणियों, जिनका निवल वित्तीय प्रभाव लाभप्रदता पर ₹125.52 करोड़[53] एवं परिसंपत्तियों /देयताओं पर ₹544.38 करोड़ था, पर महत्वपूर्ण टिप्पणियां जारी की गई।

### 3.5.3 वह सांविधिक निगम, जहाँ नियंत्रक-महालेखापरीक्षक एकमात्र लेखापरीक्षक है

उन सांविधिक निगमों पर, जहां नियंत्रक-महालेखापरीक्षक एकमात्र लेखापरीक्षक है, जारी महत्वपूर्ण टिप्पणियां नीचे वर्णित हैं:

| क्र.सं. | राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का नाम | टिप्पणी |
|---|---|---|
| **लाभप्रदता पर टिप्पणी** | | |
| 1. | हिमाचल पथ परिवहन निगम (2018-19) | हरियाणा राज्य पथ कर को देय ₹12.38 करोड़ की राशि के प्रति निगम ने 31.03.2019 तक ₹10.55 करोड़ का भुगतान किया तथा ₹1.83 करोड़ की शेष राशि हेतु कोई प्रावधान नहीं बनाया गया। इसके परिणामस्वरूप यात्री एवं माल कर- हरियाणा सरकार कर साथ ही हानि में ₹1.83 करोड़ की न्यूनोक्ति हुई।<br>राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निगम के कर्मचारियों को देय ₹1.39 करोड़ की अंतरिम राहत हेतु कोई प्रावधान नहीं बनाए गए थे;<br>निगम के सेवानिवृत्त कर्मियों को देय बकाया पेंशन के अल्प प्रावधान (₹56.00 करोड़ के बजाय ₹25.58 करोड़) के कारण 'विविध देयताएं-पेंशन निधि ट्रस्ट' एवं 'हानि' में ₹30.42 करोड़ की न्यूनोक्ति हुई।<br>वाहनों पर मूल्यह्रास के अल्प-प्रभार के कारण 'हानि' में न्यूनोक्ति एवं अचल-संपत्ति-वाहन' में ₹1.50 करोड़ की अत्योक्ति हुई।<br>किराए के अतिरिक्त यात्रियों से प्राप्त यात्री दुर्घटना बीमा को शामिल करने के कारण यात्री आय में ₹2.76 करोड़ की अत्योक्ति हुई। निदेशक-मण्डल ने यात्री दुर्घटना बीमा कोष सृजित करने का निर्णय लिया था (जनवरी 2010); अतः निगम की प्रत्येक इकाई को पृथक लेखा रखना था। यद्यपि निगम ने यात्रियों से एकत्र बीमा प्रभार उसकी आय में शामिल कर लिए थे। यह भी 'यात्री दुर्घटना बीमा आय' की राशि की न्यूनोक्ति में परिणत हुई। |

[53] *अत्योक्ति:{लाभ (₹74.19 करोड़) व हानि (₹20.57 करोड़) तथा न्यूनोक्ति: {हानि (₹19.24 करोड़) व लाभ (₹11.52 करोड़)}।*

| | | |
|---|---|---|
| **वित्तीय प्रास्थिति पर टिप्पणी** | | |
| | | हिमाचल प्रदेश सिटी परिवहन बस स्टैंड प्रबंधन एवं विकास प्राधिकरण,शिमला से वसूली योग्य राशि एवं चालू देयताओं में हिमाचल प्रदेश सिटी परिवहन बस स्टैंड प्रबंधन एवं विकास प्राधिकरण,शिमला की ओर से निगम द्वारा किये गए समायोजित व्यय के कारण ₹45.41 लाख की न्यूनोक्ति हुई तथा इसे प्राधिकरण से वसूली योग्य राशि से समायोजित किया गया।<br>लेखा शीर्षों के गलत वर्गीकरण के कारण पेंशन कोष (ट्रस्ट) से वसूली योग्य राशि में अत्योक्ति हुई एवं 'सामान्य भविष्य निधि ट्रस्ट से वसूली योग्य राशि' में ₹2.04 करोड़ की न्यूनोक्ति हुई। |
| **लेखों पर नोट्स** | | |
| | | निगम ने 'चालू परिसम्पतियाँ`` शीर्ष के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश सिटी परिवहन बस स्टैंड प्रबंधन एवं विकास प्राधिकरण,शिमला से ₹20.86 करोड़ की वसूली योग्य राशि दर्शाई थी जबकि हिमाचल प्रदेश सिटी परिवहन, बस स्टैंड प्रबंधन व विकास प्राधिकरण ने निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित उस वर्ष के उनके लेखाओं के अनुसार मात्र ₹18.06 करोड़ ही स्वीकार किए। इस प्रकार, ₹2.80 करोड़ का अंतर पाया गया। बतौर महत्वपूर्ण तथ्य, इसे लेखा कि टिप्पणी के रूप में सही ढंग से उजागर किया जाना था।<br>निगम ने उसकी टिप्पणियों में बताया कि 1981-2005 से सम्बंधित सोलन के सम्बन्ध में: ₹0.81 लाख, मंडी: ₹0.68 लाख एवं कुल्लू: ₹3.67 लाख की रेलवे विभाग से वसूली योग्य राशि अभिलेखों के अभाव में डूबत ऋण के रूप में ली गई थी परन्तु इक्विटी निगम के पास है। अतः वसूली योग्य राशि का प्रकटीकरण यहां किया गया था ताकि इक्विटी के निपटान का सवाल उठने पर उसका समायोजन किया जा सके। यह कथन सही नहीं था क्योंकि रेलवे विभाग की कोई इक्विटी निगम के पास नहीं थी, इसलिए लेखों की टिप्पणियां में कमियाँ थीं। |

## 3.6 लेखांकन मानकों/ भारतीय लेखांकन मानक के प्रावधानों की अनुपालना न करना

कंपनी अधिनियम की धारा 469 के साथ पठित उक्त अधिनियम, 2013 की धारा 129 (1), 132 एवं 133 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने लेखा मानक 1 से 7 व 9 से 29 निर्धारित किया। इसके अतिरिक्त**,** केंद्र सरकार ने कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 एवं कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) (संशोधित) नियम, 2016 के माध्यम से 39 भारतीय लेखांकन मानक अधिसूचित किए।

सांविधिक लेखापरीक्षकों ने सूचित किया कि आठ कंपनियों ने अनिवार्य लेखांकन मानकों/ भारतीय लेखांकन मानकों की अनुपालना नहीं की थी जैसा कि **परिशिष्ट-3.4** में वर्णित किया गया है -

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक ने अनुपूरक लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान देखा कि इन कंपनियों ने लेखांकन मानकों/ भारतीय लेखांकन मानकों की अनुपालना नहीं की थीं जिसे सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा प्रतिवेदित नहीं किया गया था :

| लेखांकन मानक/ भारतीय लेखांकन मानक | राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का नाम | विचलन |
|---|---|---|
| **भारतीय लेखांकन मानक-8** : लेखांकन नीतियों, लेखांकन अनुमानों व त्रुटियों में परिवर्तन किया गया। | हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड (2017-18) | एक पूर्व अवधि की महत्वपूर्ण त्रुटी में सुधार नहीं किया गया। |
| **भारतीय लेखांकन मानक-36** : परिसंपत्तियों की खराबी | -तदैव- | संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की खराबी से नुकसान को परिसंपत्ति के प्रत्येक वर्ग को उजागर नहीं किया गया। |
| **भारतीय लेखांकन मानक-3** : नकदी प्रवाह विवरण | हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम (2015-16) | नकदी प्रवाह विवरण संलग्न नहीं किया गया। |
| **भारतीय लेखांकन मानक-10** : संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण | हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद एवं विपणन एवं प्रसंस्करण निगम लिमिटेड | सक्रिय उपयोग हेतु अनुपयुक्त एवं नष्ट करने के लिए रखी गयी परिसंपत्तियों को उजागर नहीं किया गया। |
| **भारतीय लेखांकन मानक-15** : कर्मचारी लाभ | हिमाचल प्रदेश एग्रो इंडस्ट्री कोरपोरेशन लिमिटेड | कंपनी ने लेखों की टिप्पणियों में उजागर किया कि सेवानिवृत्ति लाभ को सेवानिवृत्ति/ त्याग-पत्र/मृत्यु के समय दिया जाता था जो के लेखांकन मानक 15 के अनुरुप नहीं था। |

## 3.7 प्रबंधन पत्र

वित्तीय लेखापरीक्षा के उद्देश्यों में से एक, लेखापरीक्षक एवं निगम इकाई के अभिशासन हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों के मध्य वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा से उत्पन्न लेखापरीक्षा मुद्दों पर संवाद स्थापित करना हैं।

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (बी) के तहत राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों/ सरकारी कंपनियों की वित्तीय विवरणियों पर महत्वपूर्ण आपत्तियां टिप्पणियों के रूप में प्रतिवेदित की थी। इन टिप्पणियों के अतिरिक्त नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा वित्तीय प्रतिवेदनों अथवा रिपोर्टिंग प्रक्रिया में देखी गई अनियमितताएं या कमियां भी सुधारात्मक कार्रवाई हेतु 'प्रबंधन-पत्र' के माध्यम से प्रबंधन को सूचित की। ये कमियां सामान्यतः निम्न से सम्बंधित थीं:

- लेखापरीक्षा से उत्पन्न समायोजन जो वित्तीय विवरणियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं; एवं
- कुछ जानकारियों की अपर्याप्तता या उन्हें उजागर न करना जिन पर सम्बंधित सांविधिक निगम ने आगामी वर्ष में सुधारात्मक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।

वर्ष के दौरान राज्य के एक सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम लिमिटेड) एवं एक सांविधिक निगम (हिमाचल पथ परिवहन निगम) को प्रबंधन-पत्र जारी किये गए थे।